

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रकाशित

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 192] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 7, 1970/कार्तिका 16, 1892

No. 192] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 7, 1970/KARTIKA 16, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

**MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
CO-OPERATION**

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November 1970

G.S.R. 1876.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ix) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government, being of opinion that strikes in any service in the Food Corporation of India, established under the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), would prejudicially affect the maintenance of supplies and services necessary for the life of the community and would result in the infliction of grave hardship on the community, hereby declares service in the Food Corporation of India to be an essential service for the purposes of the said Act.

[No. F. 10-3/70-FCC.]

K. P. MATHRANI, Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1970

सा० का० नि० 1876. — आवश्यक सेवाएं प्रचुरक्षण अधिनियम, 1968 (1968 का 597 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ix) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कन्द्रीय सरकार यह राय होने के कारण कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) क अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम को किसी भी सेवा में हड़ताल होने से सामुदायिक जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उससे समुदाय के लिए भारी कठिनाई पैदा होगी, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय खाद्य निगम की सेवा को आवश्यक सेवा घोषित करती है।

[सं० का० 10-3/70-एफ० सी० सी०]

के० पी० मथुराजी,

सचिव, भारत सरकार।